गौशालाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया

गौशालाओं की स्थापना हेतु सर्वप्रथम समिति/संस्था/संस्थान का पंजीकरण सहकारी संस्था अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है। उक्त पंजीकरण पश्चात् राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाता है जिसके लिए आवेदन पत्र दो प्रतियों में संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से संयुक्त निदेशक, गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार पदेन रजिस्ट्रार गौशाला जयपुर (राज.) के यहां प्रस्तुत करना होता है। रजिस्ट्रार गौशाला, आवेदन पत्र का परीक्षण कर राजस्थान गौशाला नियम, 1964 के अन्तर्गत संतुष्टि उपरान्त गौशाला का पंजीकरण कर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करता है। आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ चार प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना होगा :–

1. समिति/संस्था/संस्थान का संस्था अधिनियम, 1958 में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. समिति/संस्था/संस्थान का सहकारी संस्था अधिनियम, 1958 में पंजीयन होने के तीन माह के अन्दर गौशाला पंजीयन हेतु आवेदन करना आवश्यक होता हैं, अन्यथा देरी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है।
3. संस्था का विधान पत्र व नियमावली की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. संस्था के पास गौशाला के लिए भूमि आवंटन नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम 50 गौवंश संधारित होना आवश्यक है।
5. पंजीकृत समिति/संस्था/संस्थान के पास भूमि संबंधित कागजात यथा नकल जमाबंदी/खसरा गिरदावरी संस्था के नाम से दर्ज होना आवश्यक है। किराये/दान की भूमि कि स्थिति मे पंजीयक/उपपंजीयन (तहसील) द्वारा रजिस्टर्ड किराया नामा/दानपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं द्वारा पंजीकृत समिति/संस्था/संस्थान को न्यूनतम एक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नवपंजीकृत संस्था द्वारा आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
7. संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का मनोनयन पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
8. यदि संस्था के वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारियों से भिन्न हैं तो संस्था का प्रस्ताव संबंधित रजिस्ट्रार (सहकारी संस्थाएं) से अनुमोदित कराके प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
9. जिस भवन एवं भूमि में गौशाला संचालित की जा रही है उनके पशुशाला, चारा भण्डार, चार दीवारी, पेयजल साधन इत्यादी निर्मित/अर्द्व निर्मित ढ़ाचों का क्षेत्रफल दशार्ते हुये नजरी नक्शा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करना आवश्यक है।